

13/1/25 पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक सघन
जान अदालती कार्य का स्थान कर
रहा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 21/1/25 को पेश हो।

21/1/25 पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक सघन
जान अदालती कार्य का स्थान कर
रहा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 10/2/25 को पेश हो।

राजस्थान अदालत एन 98
19-3/28 पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक सघन
जान अदालती कार्य का स्थान कर
रहा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 25/3/28 को पेश हो।

(बहादुरमल/भूमिधारी)
GPM-2024/264


25/03/25

वकील वादी एच.ए. पूर में तहसीलदार नीमकायला से
उत्तर में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख
पट ली जाती है। उत्तर में वह वकील वादी को
गया। दोनों वह वकील वादी ने वादपत्र में जो
तथ्यों को दोहराए हुए मुताबिक मसुदा दारा डिक्री
प्राप्त का निर्वादन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिपोर्ट
का ऑनलाइन किया गया एवं तहसीलदार नीमकायला
से प्राप्त रिपोर्ट का भी ऑनलाइन किया गया। वह वकील
वादी पर सगोर निवतन किया गया। चूंकि
मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट वादपत्र मासिक में
लेखा पि. नं. की विवरण जरूर नमा. सं. 91/01.06.25
(विवरण) में लीलापुत्र पुत्र लेखा हि. 1/2 एवं हुआ
है जिस कारण उत्तर उत्तर शर्त का नहीं बनता।

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत मुकाम
 बनाम
 किस्म मुकदमा नम्बर वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>उक्त वादपत्र के लिए वादी को अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता। अतः तहसीलदार तीमलाबाबा की रिपोर्ट के आधार पर इसी वाद वादी खारिज किया जाता है तथा वादी को सत्रम न्यायालय में नामा सं० ५१/०१.०६.७३ (विपक्ष) राजस्व ग्राम लाखा की नगर की अपील कर अनुतोष प्राप्त करने की दिशा में जारी है उक्त नुसार फर्द डिक्री जारी है। पत्रावली फंसल शूमार होकर नम्बर से कम है तथा वाद तालमूल दाखिल दफ्तर है। निर्णय से ईजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"></p>	